न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 68/2020 (75 एलआरए) औंकारलाल बनाम राजस्थान सरकार
(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2020/00096)

औंकारलाल पुत्र धुरालाल जाति सुथार निवासी देवरिया कांवल तहसील गंगधार

..... **अपीलांट**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील गंगधार जिला झालावाड़ राजस्थान

..... **रेस्पोडेंट**

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध आदेश तहसीलदार गंगधार
दिनांक 17.09.2020 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 514/2020

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री तंवर सिंह झाला।

2 रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री मुकेश जैन।

निर्णय

दिनांक 24.02.2021

1 यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार गंगधार के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 514/2020 में पारित आदेश दिनांक 17.09.2020 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।

2 अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गंगधार के समक्ष धारा 91 राजस्थान भू–राजस्थान अधिनियम 1956 के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 514/2020 पटवारी हल्का स्नाथरा की रिपोर्ट पर दर्ज हुआ। प्रकरण दर्ज कर अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी को नोटिस जारी किया परन्तु अतिक्रमी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुआ प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही कर दिनांक 17.09.2020 को निर्णय पारित किया गया कि औंकारलाल पुत्र धुरालाल जाति सुथार निवासी देवरिया कांवल तहसील गंगधार जिला झालावाड़ द्वारा इस वर्ष संवत 2077 में खसरा नं. 698/2 की रकबा 2.17 बीघा किस्म काबिल काश्त पर कब्जा कर सोयाबीन बोकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dataram
Date: 2021.03.03 10:50:51 IST
Reason: SelfAttested

अतिक्रमण किया है। अतिक्रमी द्वारा गत वर्ष संवत 2076 में भी अतिक्रमण किया था जिसके फलस्वरूप इसे धारा 91 एल.आर.एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की जाकर मिसल नं. 193 निर्णय दिनांक 22.10.2019 से बेदखल कर राशि 157/– शास्ति कायम की गई थी। अतिक्रमी द्वारा पुनः इस वर्ष भी अतिक्रमण कर लिया गया है। इस प्रकार का अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। पटवारी हल्का रनायरा के बयान लिये जाकर शामिल पत्रावली कराए गए। पटवारी हल्का के बयान से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। अतः अप्रार्थी को एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 के अंतर्गत ग्राम देवरिया कांवल की आराजी खसरा नं. 698/2 रकबा 2.17 बीघा किस्म काबिल काश्त पर बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं साथ ही लगान 3.14 का 50 गुणा 157 रु. पेनल्टी भी कायम की जाती है। फसल को जप्त राज करवा कर नीलामी के आदेश दिये जाते हैं। राशि की मांग कायमी पटवारी व टी.आर.ए. को करवाई जावे साथ ही अप्रार्थी का ग्राम देवरिया कांवल की आराजी खसरा नं. 698/2 रकबा 2.17 बीघा किस्म काबिल काश्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होने के कारण अप्रार्थी औंकारलाल पुत्र धुरालाल जाति सुथार निवासी देवरिया कांवल गंगधार को एक माह (30 दिन) के सिविल कारावास से सजायाब किया जाता है। वारंट गिरफ्तारी थानाधिकारी गंगधार को भिजवाए गए। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।

3 उक्त अपील सबजेक्ट टु लिमिटेशन दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री तंवर सिंह झाला ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय मनमाना केप्रेसयस तथा परवर्स होने तथा पत्रावली पर आयी साक्ष्य विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का द्वारा पेश की गयी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जबकि पटवारी ने अपीलान्ट की मोजुदगी में पैमाइश नहीं की है। अपीलान्ट का कोई कब्जा आराजी खसरा नम्बर 698/2 रकबा 2.17 बीघा की काबिल काश्त भूमि पर नहीं [illegible] पेनल्टी की राशि भी जमा कर दी गयी है, तथा कब्जा छोड़ [illegible] न्यायालय में पेश कर देगा। अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय में सुनवाई [illegible] अवसर भी नहीं दिया गया तथा बिना प्रार्थी के जवाब लिए व बिना साक्ष्य लि[illegible] प्रार्थी की गैर मोजुदगी में ही एक तरफा निर्णय पारित किया गया। प्रा0पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पृथक से अपील के संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dataram
Date: 2021.03.03 10:50:51 IST
Reason: SelfAttested

5 रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री मुकेश जैन ने बहस में कथन किया कि

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश विधि अनुसार पारित किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है, जिसके समर्थन में रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध है तथा पटवारी हल्का की साक्ष्य ली गई है जो पर्याप्त है। कब्जा छोड़ने का कोई शपथ पत्र भी पेश नहीं किया है। अतः अपील निरस्त करने का निवेदन किया।

6 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

7 अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा–5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। प्रकरण के तथ्यों एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के मध्य नजर एवं रेस्पोडेंट के अधिवक्ता द्वारा प्रा0पत्र का कोई जवाब या खण्डन में काउंटर शपथ पत्र पेश नही करने के कारण अपीलांट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

8 अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में पहला तर्क यह दिया है कि अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का समूचित अवसर नही दिया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन पर पाया गया कि न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 17.09.20 को अटल सेवा केन्द्र रनायरा पर उपस्थित होने हेतु विधि अनुरूप नोटिस जारी किया था, इसलिये वकील अपीलान्ट का पहला तर्क मानने योग्य नही है।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में दूसरा तर्क यह दिया है कि अपीलान्ट का कोई कब्जा ग्राम देवरिया कांवल की आराजी खसरा नं. 698/2 रकबा 2.17 बीघा किस्म काबिल काश्त भूमि पर नहीं है, तथा पेनल्टी की राशि भी जमा कर दी गयी है, तथा कब्जा छोड़ने का प्रमाण पत्र माननीय न्यायालय में पेश कर देगा। अपीलांट के अधिवक्ता के अनुसार यदि अपीलान्ट का कोई कब्जा उक्त आराजी खसरा नम्बर पर नहीं है। उक्त कथन से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट का अतिकमण आराजी पर था यदि उसने निर्णय के पश्चात कब्जा छोड़ दिया है तो भी उसे कानूनन कोई राहत नही मिल सकती। अतः कब्जा छोड़ने का आधार अपील में स्वीकार योग्य नही है।

9 उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील मानकर एक पक्षीय कार्यवाही की गई है, अपीलान्ट के अधिवक्ता ने जो तर्क दिया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर नही दिया ओर अपीलान्ट की गैर मौजुदगी में एक तरफा निर्णय पारित कर दिया जो कि स्वीकार योग्य नही है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को निश्चित तिथि को उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किया था जिसके कम में अपीलान्ट को निर्धारित दिनांक को उपस्थित होकर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहिये था। इस संबंध में भी कोई ठोस साक्ष्य विद्धान अधिवक्ता द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत नही किये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dataram
Date: 2021.03.03 10:50:51 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट का अतिकमण होना प्रमाणित है क्योंकि उसके द्वारा जुर्माना राशि जमा करा दी है। उक्त आराजी पर अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिकमण होना भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से होती है। चूँकि अपीलान्ट द्वारा सम्वंत 2076 में भी उक्त आराजीयात पर अतिकमण किया गया था जो पश्चातवर्ती अतिकमण की श्रेणी में आता है। अपीलान्ट द्वारा इस अपील में जो आक्षेप उठाये गये है, उनमें भी ऐसे कोई कानूनी बिन्दु नही है, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गंगधार द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.09.2020 में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन प्रतीत होने से खारिज किये जाने योग्य है।

10 अतः अपील अपीलांट सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज की जाती है ।

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़

11 निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dataram
Date: 2021.03.03 10:50:51 IST
Reason: SelfAttested